भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *533

1 अप्रैल, 2026 के लिए प्रश्न

मुफ्त खाद्यान्न पर निर्भरता में कमी

***533. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की योजना 81 करोड़ से अधिक लोगों की मुफ्त खाद्यान्न पर निर्भरता को कम करने की है और यदि हाँ, तो इन लाभार्थियों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त खाद्यान्न वितरण से रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों की ओर बढ़ने में आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की सहायता के लिए कोई पहल या योजनाएं तैयार की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न का कुशल वितरण सुनिश्चित करने और गरीबी तथा खाद्य असुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को प्रदान की जा रही अतिरिक्त सहायता, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य की सबसे कमजोर आबादी को खाद्य वितरण कार्यक्रमों के तहत पर्याप्त रूप से शामिल किया जाए?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 01.04.2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *533 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जी नहीं, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत कवरेज को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक राष्ट्रीय पहलें शुरू की हैं। भारत सरकार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से स्वरोजगार और वेतनभोगी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता दी है और खंडित, निम्न-स्तरीय कौशल विकास प्रयासों से हटकर एक व्यापक, अधिक समन्वित, डिजिटल रूप से सक्षम और शिक्षा-एकीकृत कौशल और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमजीकेएवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा सम्पूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्रकौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ग): केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है,जिसके लिए एफसीआई को खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है। केवल विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) में भाग लेने वाले राज्यों के मामले में, जिसके तहत राज्य सरकारें खाद्यान्न की खरीद और पात्र परिवारों तक इसके वितरण की जिम्मेदारी लेती हैं, वह खाद्य सब्सिडी सीधे राज्य सरकारों को जारी की जाती है।

केंद्र सरकार, खाद्यान्न की अंतिम मील प्रदायगी और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय की प्रति पूर्ति करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित निधि पैटर्न (अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 50:50) के अनुसार सहायता भी प्रदान करती है।

(घ): पीएमजीकेएवाई योजना के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान है, जिससे कुल जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्सा लाभान्वित होता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। लाभार्थियों का कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर वर्गों और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफ एसए) के तहत शामिल करने के लिए सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, की पहचान करने हेतु समय-समय पर परामर्शिका जारी की हैं। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, इस अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।
